अध्याय 6

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रदत्त भौतिक सेवाओं का मूल्यांकन

6.1 पिछले दशक में छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। पिछड़े हुए क्षेत्रों की स्थिति को सुधारने के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं :- भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना का विकास, प्रशासनिक पुर्नगठन के माध्यम से विकेन्द्रीकृत प्रशासन जिससे आम जनता तक पहुंच संभव हो, स्थानीय निकायों की क्षमता वृद्धि एवं सुदृढ़ीकरण जिससे सभी को मूलभूत सेवाएं उपलब्ध हो सके तथा प्रमुख फ्लेगशिप योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सेवा प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

6.2 ग्रामीण क्षेत्रों की भौतिक और सामाजिक अधोसंरचना के विकास की प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों, जैसे बस्तर और सरगुजा में इन संस्थाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सेवाएं जैसे- पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़कों से जोड़ना तथा गांव में विद्युत आपूर्ति आदि कार्यों का दायित्व वहन किया है।

6.3 राज्य के सामने समावेशी तथा सतत् विकास की अनेक गंभीर चुनौतियाँ हैं- निम्न सामाजिक और मानवीय विकास, अनुसूचित जाति तथा जनजाति में व्यापक निर्धनता, सेवाओं तथा संसाधनों की असमान आपूर्ति, कमजोर भौतिक तथा सामाजिक अधोसंरचना और व्यापक क्षेत्र में चरम वामपंथ द्वारा बाधाएं उत्पन्न करना।

6.4 छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के वर्ष 2012-17 के प्रतिवेदन के अनुसार राज्य की आधी जनसंख्या (लगभग 1 करोड़ 22 लाख) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों की संयुक्त जनसंख्या 43.37 प्रतिशत है, जो अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में संपत्तियों, उपलब्धियों तथा परिलब्धियों के दृष्टिकोण से काफी कमजोर है।

6.5 मानव विकास प्रतिवेदन वर्ष 2011 के अनुसार मानव विकास सूचकांक मान 0.358 के साथ 23 राज्यों में छत्तीसगढ़ का क्रम सबसे नीचे है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि राज्य में असमानता तथा अलगाव की स्थिति शोचनीय है। भौगोलिक अलगाव तथा सामाजिक वर्जनाएं संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने में बाधक बनी हुई हैं।

छत्तीसगढ़ में भौतिक एवं सामाजिक सेवाओं की स्थिति

6.6 छत्तीसगढ़ राज्य में भौतिक तथा सामाजिक सेवाओं की वर्ष 2011-12 से वर्ष 2016-17 की स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि उक्त समयावधि में राज्य शासन एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की गई भौतिक सेवाओं की मात्रा में संख्यात्मक वृद्धि हुई है।

6.7 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख सेवाओं जैसे पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क मार्ग संपर्क, विद्युत आपूर्ति तथा ग्रामीण आवास में विगत पांच वर्षों में सुधार हुआ है।

6.8 प्रदेश में पेयजल आपूर्ति की स्थिति में निरंतर सुधार आया है, परन्तु प्रदेश के दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में स्थित बहुत से गांव सुरक्षित जलापूर्ति योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। प्रदेश में प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल उपलब्ध है, परन्तु इसके प्रभावी दोहन के लिए आवश्यक अधोसंरचना की कमी है।

आयोग की अनुशंसा है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि में ग्राम पंचायतों द्वारा सामुदायिक पेयजल शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना किए जाने की स्थिति में लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाए। इस संबंध में भुगतान की प्रक्रिया हेतु शर्तों का निर्धारण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाए।

6.9 तालिका 6.1 में प्रदेश में जिलेवार भू-जल आपूर्ति परियोजनाओं की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 6.1

छत्तीसगढ़ में जिलेवार भू-जल प्रदाय परियोजनाओं की स्थिति (मार्च 2017 में)

रायपुर संभाग

क्रमांक	जिला	स्वीकृत	पूर्ण	प्रगति पर	जारी	बंद
1.	रायपुर	59	59	0	56	3
2.	बलौदाबाजार	148	148	0	136	12
3.	गरियाबंद	85	85	0	81	4
4.	धमतरी	206	206	0	206	0
5.	महासमुंद	206	206	0	193	13
	योग	**704**	**704**	**0**	**672**	**32**

दुर्ग संभाग

6.	दुर्ग	42	42	0	41	1
7.	बालोद	92	92	0	90	2
8.	बेमेतरा	59	59	0	40	19
9.	राजनांदगांव	620	615	5	571	13
10.	कबीरधाम	225	222	3	213	9
	योग	**1038**	**1030**	**8**	**955**	**75**

बिलासपुर संभाग

11.	बिलासपुर	108	108	0	102	6
12.	मुंगेली	39	39	0	37	2
13.	कोरबा	91	91	0	53	38
14.	जांजगीर-चांपा	178	178	0	169	9
15.	रायगढ़	145	145	0	143	2
	योग	**561**	**561**	**0**	**504**	**57**

सरगुजा संभाग

16.	सरगुजा	77	77	0	61	16
17.	बलरामपुर	39	39	0	39	0
18.	सूरजपुर	27	27	0	26	1
19.	कोरिया	74	74	0	73	1
20.	जशपुर	77	77	0	74	3
	योग	**294**	**294**	**0**	**273**	**21**

बस्तर संभाग

21.	बस्तर	145	145	0	138	7
22.	दंतेवाड़ा	31	31	0	25	6
23.	बीजापुर	0	0	0	0	0
24.	सुकमा	7	7	0	7	0
25.	कोंडागांव	58	53	5	51	2
26.	कांकेर	83	83	0	82	1
27.	नारायणपुर	14	14	0	14	0
	योग	**338**	**333**	**5**	**317**	**16**
	महायोग	**2935**	**2922**	**13**	**2721**	**201**

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ 2017

प्रदेश के जिलों में नल-जल आपूर्ति तथा हैंडपंप की स्थिति को तालिका 6.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.2
छत्तीसगढ़ में हैंडपंपों की जिलावार स्थिति (मार्च 2016 में)

क्र.	जिले	कुल हैंडपंप स्थापित	हैंडपंप चलित	बंद हैंडपंप	बंद होने के कारण		
					भूजल स्तर में कमी	सुधार नवीनीकरण	अन्य
1.	रायपुर	7940	7605	355	302	33	0
2.	बलौदाबाजार	9859	9552	307	225	82	0
3.	गरियाबंद	8620	8309	311	276	35	0
4.	धमतरी	9280	8309	377	336	41	0
5.	महासमुंद	11412	10369	1043	926	117	0
6.	दुर्ग	5041	4771	270	243	27	0
7.	बेमेतरा	4936	3476	1460	1379	81	0
8.	बालोद	6235	5787	448	369	115	0
9.	राजनांदगांव	17647	16945	702	587	115	0
10.	कबीरधाम	10643	10286	357	252	105	0
11.	बस्तर	11118	11046	72	0	72	0
12.	बीजापुर	6574	6488	86	0	12	0
13.	दंतेवाड़ा	6111	6038	73	0	73	0
14.	कांकेर	11178	11174	4	0	4	0
15.	कोंडागांव	8481	8422	59	0	40	0
16.	नारायणपुर	2382	2358	24	0	24	0
17.	सुकमा	5129	5033	96	0	96	0
18.	बिलासपुर	11926	11546	380	210	170	0
19.	मुंगेली	6244	5974	270	65	205	0
20.	कोरबा	12375	12228	147	0	147	0
21.	जांजगीर चांपा	12396	11828	558	275	283	0
22.	रायगढ़	14521	12298	2223	1878	345	0
23.	जशपुर	15618	15443	175	0	175	0
24.	सरगुजा	11316	11174	142	55	87	0
25.	बलरामपुर	10325	10107	218	0	218	0
26.	सूरजपुर	11832	11770	62	0	62	0
27.	कोरिया	11264	11230	34	10	24	0
	योग	**260403**	**250170**	**10233**	**7388**	**2752**	**93**

स्रोत : लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़

द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने श्रम शक्ति तथा सामग्रियों की लागत में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए नल-जल योजना के लिए पंचायतों को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा दिए जाने वाले अनुदान को प्रत्येक दो वर्षों में पुनरीक्षित किए जाने तथा अनुदान की राशि वर्ष में दो बार अप्रैल और अक्टूबर माह में दिए जाने की अनुशंसा की थी। राज्य शासन द्वारा अनुशंसा स्वीकार की गई, परन्तु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा अनुशंसा के अनुपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

तृतीय राज्य वित्त आयोग पुनः अनुशंसा करता है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नल-जल योजना हेतु दिए जाने वाले अनुदान को प्रत्येक दो वर्ष में एक बार पुनरीक्षित किया जाए एवं वर्ष में दो बार अनुदान उपलब्ध कराया जाए। राज्य शासन अनुशंसा के अनुपालन को भी सुनिश्चित कराए।

6.10 स्वच्छ भारत अभियान के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में शौचालय युक्त परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत अब तक कुल 32,77,227 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। परिणामतः स्वच्छता की व्याप्ति लगभग शत-प्रतिशत हो गई है। व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय हेतु रू. 12,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। (स्रोतः स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

6.11 विगत दस वर्षों में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनसे विपरीत स्वास्थ्य सूचकांकों में सुधार करने की दिशा में प्रगति हुई है। सरकार की इस पहल के परिणाम स्वरूप-

1. वर्ष 2001 से वर्ष 2015 की अवधि में मातृ मृत्यु दर 379 प्रति हजार से घटकर 221 तक पहुंच गई।
2. महिलाओं में एनीमिया वर्ष 1999 में 68.7 प्रतिशत था, जो वर्ष 2015 में घट कर 47 प्रतिशत हो गया।
3. नवजात शिशु मृत्यु दर वर्ष 2000 में 79 प्रति हजार थी जो वर्ष 2016 में घट कर 54 हो गई।
4. बच्चों में कुपोषण की दर वर्ष 2000 में 61 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2009 में घट कर 52 प्रतिशत हो गई।

6.12 विगत कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु आधारभूत ढांचे में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सेवाओं की मूलभूत संरचना में भारी संख्यात्मक वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में जिला अस्पतालों की संख्या 6 से 26, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 114 से 169, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 512 से 785 तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 3818 से 5138 तक पहुंच गई है।

6.13 स्वास्थ्य अधोसंरचना में काफी सुधार हुआ है। सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वह प्राथमिक तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं को अधिकतम लोगों को उपलब्ध कराए। राज्य ने राष्ट्रीय मानक के अनुरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अभी भी बहुत सी कमियां हैं। पंचायती राज संस्थाओं की स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी में अत्यल्प भूमिका है। यद्यपि पंचायतों की स्वास्थ्य समितियों से संपूर्ण निगरानी की अपेक्षा की जाती है, परंतु वर्तमान में यह निगरानी वित्तीय और मात्रात्मक प्रगति पर केंद्रित होती है न कि गुणवत्ता पर।

6.14 ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर जनजातीय इलाकों में शिक्षा की आधारभूत संरचना की कमी है, अतः राज्य निर्माण के 18 वर्षों के बाद भी शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा की स्थिति अत्यंत पिछड़ी हुई है।

सभी शालाओं में मूलभूत सुविधाओं को उन्नत करना जैसे, अध्ययन कक्ष, पेयजल, रसोई, शौचालय निर्माण, शिक्षकों की नियुक्ति तथा छात्रों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, राज्य शासन के लिए एक चुनौती बनी हुई है।

6.15 जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य के लिए बड़ी समस्या है। समाज के कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों, विशेषकर बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

6.16 राज्य में शालाओं की आधारभूत संरचना की उपलब्धता के संदर्भ में वर्ष 2002-03 से वर्ष 2017-18 के मध्य, सर्वशिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत 9842 नवीन प्राथमिक शालाएं तथा 7815 नवीन माध्यमिक शालाएं स्थापित की गई, जिससे राज्य में शिक्षा तक सभी लोगों की समान रूप से पहुंच हो सके।

6.17 वर्ष 2003-04 से वर्ष 2017-18 की अवधि में राज्य में लगभग 2244 माध्यमिक तथा 1137 उच्चतर माध्यमिक शालाएं खोली गई। इस प्रकार वर्ष 2017-18 की स्थिति में राज्य में शालाओं की संख्या निम्नानुसार है :-

तालिका 6.3

राज्य में शालाओं की स्थिति

क्र.	शालाएं	संख्या
1.	प्राथमिक शालाएं	33145
2.	पूर्व माध्यमिक शालाएं	16095
3.	माध्यमिक शालाएं	2636
4.	उच्चतर माध्यमिक शालाएं	3994
	शालाओं की कुल संख्या	**55870**

स्रोत : प्रशासकीय प्रतिवेदन 2017-18, स्कूल शिक्षा विभाग।

6.18 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, शाला गणवेश, मध्यान्ह भोजन, कंप्यूटर शिक्षा, विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना, छात्राओं के लिए सरस्वती सायकल योजना, जैसी योजनाओं से शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिली है। जनजातीय क्षेत्रों में आवासीय शाला कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खोलने की पहल से विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है एवं शाला त्यागने की प्रवृत्ति में कमी आई है।

6.19 राज्य के तीव्र आर्थिक विकास के मार्ग में ग्रामीण सड़क संपर्क एक गंभीर अवरोध बना हुआ है। इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक गांव तक सड़कों की अधोसंरचना बनाने हेतु, संसाधनों को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में 8,828 बसाहटों को ग्रामीण सड़कों के साथ जोड़ा जा चुका है।

6.20 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन के अंतर्गत अधिकांश गांव सड़क संपर्क से जुड़ चुके हैं।

6.21 राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में भी गांवों को कच्ची सड़कों से जोड़ने पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसके कारण राज्य में ग्रामीण सड़क संरचना के परिदृश्य में व्यापक बदलाव हुआ है।

6.22 ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय के संदर्भ में, राज्य के 177 दूरस्थ तथा अंदरूनी ग्राम अभी भी ग्रिड और बगैर ग्रिड बिजली सुविधा से नहीं जुड़ सके हैं। दिनांक 30.11.2017 की स्थिति में राज्य के कुल 19567 ग्रामों मे से 19390 ग्राम विद्युतीकृत किये जा चुके हैं। तालिका क्र. 6.4 में विद्युतीकृत किए गए आवासों की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

तालिका 6.4

छत्तीसगढ़ में विद्युतीकृत किए गए आवासों की स्थिति (मार्च 2017 में)

क्र.	विवरण	संख्या (लाख में)
1	कुल ग्रामीण आवास	45.09
2	कुल विद्युतीकृत आवास	38.67

6.23 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद से ग्रामीण विद्युत प्रदाय की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। राज्य सरकार द्वारा स्वयं का विद्युतीकरण कार्यक्रम, गांव की गलियों का आंतरिक विद्युतीकरण, भी प्रारंभ किया गया है जिसके तहत पंचायती राज संस्थाएं विद्युतीकरण के कार्य में संलग्न हैं।

6.24 केन्द्र प्रवर्तित ग्रामीण आवास योजना (पूर्व में इंदिरा आवास योजना) निर्धन ग्रामीणो को आवास उपलब्ध कराने के लिए समाज कल्याण का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019 तक 6,23,824 ग्रामीण आवास बनाए जाने का लक्ष्य है।

6.25 केन्द्र सरकार द्वारा जून 2015 में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन से राज्य में ग्रामीणों की आवास संबंधी आवश्यकताओ की काफी अंश तक पूर्ति हुई है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक 6,88,235 ग्रामीण आवास बनाए जाने का लक्ष्य है। लक्ष्य के विरूद्व अब तक 352106 आवास बनाए जा चुके हैं एवं 87169 आवास निर्माणाधीन हैं।

6.26 राज्य में पंचायती राज संस्थाएं प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में संलग्न हैं। आयोग के अध्ययन में यह पाया गया है कि योजना से अनेक ग्रामीणो को आवास मिले हैं, फिर भी विशेष रूप से जनजातीय इलाकों में मांग और पूर्ति के मध्य बहुत बड़ा अंतर है।

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रदत्त भौतिक सेवाएं

6.27 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्रामों एवं मजरों- टोलों में अनेक भौतिक एवं सामाजिक सेवाएं दी जाती हैं, यथा- पेयजल आपूर्ति (नल-जल योजना), स्वच्छता (व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय), सड़क निर्माण (प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना), स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास सुविधा (प्रधानमंत्री आवास योजना), विद्युत आपूर्ति आदि।

6.28 अधिकांश भौतिक व सामाजिक सेवाओं का कार्य ग्राम पंचायतो के द्वारा किया जाता है। जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत, ग्राम पंचायत को तकनीकी सहयोग प्रदान करने के साथ-साथ निगरानी का कार्य भी करती हैं।

6.29 आयोग के अध्ययन में यह पाया गया है कि उपरोक्त योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियावन्यन के बाद भी कुछ गांवों में सड़क संपर्क, पेयजल आपूर्ति तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं। गुणवत्तापूर्ण भौतिक सेवाऐं प्रदान करना अनेक ग्राम पंचायतों के लिए चुनौती बना हुआ है।

6.30 न्यून भौतिक सेवाओं के मुख्य कारणों में पर्याप्त कोषों के प्रावधान में कमी, अपर्याप्त कार्मिक एवं कार्यात्मक हस्तांतरण में अस्पष्टता है। कुछ स्थितियों में यह भी देखा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं ने साधन-सुविधाएं तो विकसित कर ली हैं परंतु इनके रखरखाव में भारी कठिनाईयां हैं। अतः नए संसाधन निर्मित करने के बजाय वर्तमान संसाधनों के रखरखाव पर ध्यान दिया जाना अधिक आवश्यक है, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार परिलक्षित हो सके।

1. *आयोग की अनुशंसा है कि अनुसूची 5 के क्षेत्र में स्थित 5050 ग्राम पंचायतों की मूलभूत सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अधिनिर्णय अवधि में रू. 5 लाख का वार्षिक सहायता अनुदान दिया जाए।*

2. *आयोग की अनुशंसा है कि सभी 146 जनपद पंचायतों को अधोसंरचना विकास एवं स्थानीय आवश्यकताओं के लिए अधिनिर्णय अवधि में रू. 20 लाख का वार्षिक सहायता अनुदान दिया जाए। 75 प्रतिशत सहायता अनुदान अधोसंरचना संबंधी कार्यों के लिए एवं 25 प्रतिशत सहायता अनुदान स्थानीय आवश्यकताओं के लिए अनाबद्ध रखा जाए। राज्य सरकार अनाबद्ध सहायता अनुदान के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी करे।*

चुनौतियां

6.31 राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.21 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक अधोसंरचना के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिससे आर्थिक विकास बाधित होता है।

6.32 छत्तीसगढ़ के 27 में से 14 जिले चरम वामपंथ (नक्सलवाद) से प्रभावित हैं, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में विकास एवं अधोसंरचना परियोजनाओं की लागत कई गुना बढ़ जाती है।

6.33 पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक सेवाओं के उन्नयन में प्रमुख भूमिका है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अतः यह महत्वपूर्ण है कि राज्य शासन इन चुनौतियों का त्वरित निराकरण करे।

• •